

न्यायालय:-सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-48/2016

रमेश चन्द्र यादव बनाम रघुनाथ आदि

01.05.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज है?
2. क्या वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?
3. क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
5. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
6. क्या वाद धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
7. क्या वाद धारा 206 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 से बाधित है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 हेतु लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),

कोर्ट नं० 14, बाराबंकी

01.05.2019

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पत्रावली निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 हेतु नियत है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वादी की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति को दृष्टिगत रखते हुये वाद का मूल्यांकन सालाना पड़ता लगान के आधार पर मु० 330/- रूपया कायम किया गया है, वह सही पाया जाता है। तदनुसार यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4

वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वाद बिन्दु संख्या 3 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही कायम किया गया है। तदनुसार वादी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त पाया जाता है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 4 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-5

वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वाद बिन्दु संख्या 3 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कायम किया है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तदनुसार यह वाद बिन्दु उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 24.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी